न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
वाद सं0 30/17
निर्णय दिनांक: 08.09.2018

1. रघुनाथ
2. सुवालाल
3. दीनदयाल
4. हनुमान

समस्त पुत्रान इन्दाराम जाति रैगर नि0 सांभरलेक हाल नि0 श्यामी की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. सीतादेवी पत्नि रतनलाल
2. गोपाललाल पुत्र रतनलाल
3. मदनलाल पुत्र रतनलाल
4. सोहनलाल पुत्र रतनलाल
5. गोविन्द पुत्र रतनलाल
6. चुकीदेवी पत्नि भरतलाल
7. सत्यनारायण पुत्र भरतलाल
8. किशनलाल पुत्र भरतलाल
9. रामप्यारी पत्नि मोहनलाल
10. पुष्पादेवी पत्नि कैलाश पुत्री मोहनलाल
11. आशू पुत्र कैलाश
12. सोनू पुत्र कैलाश
13. गोमतीदेवी पत्नि मिठुनलाल
14. प्रतीक पुत्र मिठुनलाल

समस्त जाति महाजन नि0 सांभरलेक तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

15. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 2056/1 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 2056/2 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 विस्वा वाकै ग्राम लालपुरा प0ह0 श्यामी की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिस पर वादीगण का दादा ईसर अपने जीवनकाल में बहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के प्रभावी होने के पूर्व एवं पर्चा खातेदारी संवत् 2011 के पूर्व से ही काबिज काश्त चला आ रहा है सरकारी लगान भी वही अदा करता था। उसकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण के पिता इन्दाराम एवं उनके देहावसान के पश्चात् वादीगण विवादित भूमि पर काबिज है व काश्त करते आ रहे है तथा कानूनन विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट गुजरमल पुत्र शिववल्लम के नाम गलती से जारी कर दिया गया। जिसकी मृत्यु पश्चात् फौती

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण उसके पुत्रान फतेहचन्द एवं प्रतिवादी सं0 1 के पति व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 5 के पिता रतनलाल, प्रतिवादी सं0 6 के पति, प्रतिवादी सं0 7 व 8 के पिता भरतलाल, प्रतिवादी सं0 9 के पति व प्रतिवादी सं0 10 के जादेर ससुर, प्रतिवादी सं0 11 व 12 के दादा मोहनलाल, प्रतिवादी सं0 13 के पति, प्रतिवादी सं0 14 के पिता मिठुनलाल के नाम गलत खोल दिया गया। फतेहचन्द की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु हो चुकी है। जिनके प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस/उत्तराधिकारी नहीं है। विवादित आराजीयात को गुजरमल पुत्र शिवबल्लभ या स्व0 फतेहचन्द, स्व0 रतनलाल, स्व0 भरतलाल, स्व0 मोहनलाल, स्व0 मिठुनलाल पि0 गुजरमल जाति महाजन नि0 सांभरलेक ने ना तो पर्चा खातेदारी से पूर्व ना ही पर्चा खातेदारी के पश्चात् कभी भी काश्त नहीं किया है। पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व अर्थात् संवत् 2011 के पूर्व से ही वादीगण का दादा ईसर का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए पर्चा खातेदारी भी मुताबिक कब्जा काश्त ईसर के नाम ही आनी चाहिए थी लेकिन पर्चा सेटलमेन्ट गलत तौर पर जारी कर दिया गया। जबकि मुताबिक कब्जा काश्त राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट प्रभावशील होने पर धारा 19 व 15 के अनुसार खातेदारी ईसर के नाम आनी चाहिए थी। स्व0 ईसर व स्व0 इन्दाराम ने अपने जीवनकाल में गुजरमल एवं फतेहचन्द, रतनलाल, भरतलाल, मोहनलाल, मिठुनलाल को कई मर्तबा जुबानी निवेदन किया कि विवादित भूमि पर वे संवत् 2011 के पूर्व से ही काबिज काश्त है आपके पर्चा गलत आ गया इसकी दुरूस्ती कराकर मेरे नाम खातेदारी खुलवा दो तो वे यही कहते रहे कि कब्जा काश्त तो तुम्हारा है ही खातेदारी में इन्द्राज भी करवा देगे। इस पर स्व0 ईसर एवं स्व0 इन्दाराम आश्वस्त रहें। इनकी मृत्यु पश्चात् प्रतिवादीगण ने भी कभी वादीगण के कब्जें काश्त में हस्तक्षेप नहीं किया ना ही बाधा पहुंचायी इसलिए वादीगण भी पूर्ण आश्वस्त रहे। फतेहचन्द वगै0 की मृत्यु पश्चात् कभी भी प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी का फौती नामान्तकरण खुलवाने का प्रयत्न नहीं किया वर्तमान में भी खातेदारी फतेहचन्द वगै0 के नाम दर्ज चली आ रही है इसलिए वादीगण निश्चित रहें। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है एवं प्रतिवादीगण फौती नामान्तकरण खुलवाकर विवादित आराजी बेचान करने पर उतारू है दिनांक 05.08.17 को प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर आये एवं वादीगण को धमकी दी कि हम विवादित आराजीयात का फौती नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर आराजीयात का बेचान दीगर व्यक्तियों को करेगे एवं तुम्हें बेदखल कर देगे तब वादीगण ने काफी मिन्नतें की कि पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही हमारे बुजुर्गो एवं हमारा विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए खातेदारी हमारे नाम करवा दो लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने एवं जबरन बलपूर्वक विवादित आराजीयात पर कब्जा करने की धमकी देकर चले गये। ऐसी सूरत में यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उप खण्ड अ...
सांभर लेक...

Scanned by CamScanner

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 14 की ओर से वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 08.09.18 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकारान वकील उपस्थित होकर मुताबिक वाद को लोक अदालत की भावना से डिक्री हेतु सहमति दी। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली अवलोकन के अनुसार वादीगणों का वाद नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा होने की शर्त पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 2056/1 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 2056/2 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 विस्वा वाकै ग्राम लालपुरा प0ह0 श्यामी की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 को नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा होने की शर्त पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2018 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साभर लोक अदालत

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री वीरेन्द्रसिंह यादव, आर0ए0एस0

रघुनाथ वगै0 बनाम सीतादेवी वगै0

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 130/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू श्री भागचन्द सांभरिया व हाजरी श्री लक्ष्मणसिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 2056/1 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 2056/2 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 विस्वा वाकै ग्राम लालपुरा प0ह0 श्यामी की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 को नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा होने की शर्त पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। निज .... मुबलिग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner